नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल का सश्रम कारावास

पाक्सो की विशेष अदालत ने 3 हजार का जुर्माना भी लगाया

पीसं,जबलपुर। गढ़ा थाना क्षेत्र से दो नाबालिग बहनों को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राहुल को पाक्सो की विशेष अदालत ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 15 फरवरी 2021 को पीड़िता की मॉ ने गढ़ा थांने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि 15 फरवरी 2021 की शाम करीब 04.00 बजेए वह उसके परिवार के साथ घर पर थी। उसी समय राहुल बर्मन उसके घर आया और उससे उसके बच्चों को चाट खिलाने व घुमाने का कहकर, वह उसकी दोनों बच्चियों को अपनी मोटरसायकिल में बैठाकर घुमाने ले गया। रात्रि हो जाने पर भी वह वापस नहीं आया, तो उसके द्वारा राहुल वर्मन से फोन द्वारा संपर्क किया गया, लेकिन फोन बंद बता रहा था। आसपास पता किया लेकिन अभियुक्त राहुल वर्मन एवं उसके दोनो बच्चों का कोई पता नहीं चला। उसकी दोनो बच्चियों को अभियुक्त राहुल वर्मन बहला फुसला कर कही ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब करते हुए मामले में आरोपी राहुल बर्मन के खिलाफ दुराचार व पाक्सो सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई पश्चात अदालत ने आरोपी ने उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा।